अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

बिसराम वगै0 बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 ए   मु0नं0–07/2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2024	पत्रावली पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 341 वाके ग्राम झरना में स्थित है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा दिनांक 09.10.2023 को किया जा चुका है। लेकिन जानवरों एवं बरसात के कारण सीमाचिन्ह नष्ट होने से पडौसी खातेदारी प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने को आमादा रहते है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी एवं कब्जेशुदा भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया किया। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.10.2023 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । पत्रावली में विचाराधीप भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है तथा पत्रावली में तहसीलदार सिकराय द्वारा भी जवाब पेश कर पत्थरगढी किया जाना उचित बताया है। तथा उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को वाके ग्राम झरना तहसील सिकराय में स्थित प्रार्थीगण की भूमी खसरा नम्बर 341 रकबा 4.75 है0 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.05.2024 सरे इजलास सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **सिकराय (दौसा)**	उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)